न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 19/2019 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2019/00128

उनवान

लखमीचन्द पुत्र श्री मटरेलाल जाति वैश्य निवासी महलपुर चूरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. अनार सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह
2. चन्द्रकेश पुत्र श्री अनार सिंह

} जाति ठाकुर निवासीयान महलपुर चूरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 17.05.2019 मि.नं. 09/2019 उनवानी लखमीचन्द बनाम अनार सिंह।

अभिभाषकण :–

1. वकील अपीलांट श्री हनुमान प्रसाद गोयल उपस्थित।
2. रैस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–09.03.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा म्बर 557, 558 वाके ग्राम महलपुर चूरा तहसील रूपवास, वादी/अपीलाण्ट के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है एवं वादी/अपीलाण्ट उक्त विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण/रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। परन्तु प्रतिवादीगण/रैस्पो0 लट्ठ व पैसे वाले व्यक्ति हैं, जो वादी/अपीलाण्ट की विवादित आराजी पर जबरन अवैध कब्जा करना चाहतें हैं। यदि प्रतिवादीगण/रैस्पो0 अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो वादी/अपीलाण्ट को अपरिमित क्षति होगी और वादी/अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकारो पर जबाल आ जावेगा। अतः वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। उक्त वाद में पक्षकारो के मध्य दिनांक 05.04.2019 को राजीनामा हो गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण, वाद सुनवाई राजीनामा, अपीलाधीन

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पोडेंट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये, बहस अपीलाण्ट सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में, अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारो के मध्य दिनांक 05.04.2019 को राजीनामा हुआ था। अतः अधीनस्थ न्यायालय को राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित करना चाहिये था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं किया। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय को अपनी ओर से धारा 188 राज0 काश्त0 अधिनियम के दावा में केस बनाकर दावा खारिज करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि अपीलाण्ट विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है और रैस्पो0 ने राजीनामा में, अपीलाण्ट को विवादित आराजी का मालिक एवं स्वामी माना था केवल फसल जो अवैधानिक तौर पर रैस्पो0 ने बोई थी उसको काटने का अधिकार अपीलाण्ट ने राजीनामा में रैस्पो0 को दिया था। फसल से कोई भी अधिकार धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तय नहीं किये जा सकते हैं। मियाद के संबंध में उनका कथन है पक्षकारो के मध्य राजीनामा होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली रिजर्व रख ली थी। अपीलाण्ट ने कई बार अधीनस्थ न्यायालय में आदेश बाबत् जानकारी चाही थी परन्तु पता नहीं लग सका एवं दिनांक 09.09.2019 को दावा खारिज होने का पता लगा। जिस पर नकल आदि तैयार कर, जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की साथ ही अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन कराने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से संलग्न है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलाण्ट के तर्को पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 17.05.2019 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 23.09.2019 को लगभग 04 माह पश्चात इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। मियाद के सम्बन्ध में अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारो के मध्य राजीनामा होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली रिजर्व रख ली थी। अपीलाण्ट ने कई बार अधीनस्थ न्यायालय में आदेश बाबत् जानकारी चाही थी परन्तु पता नहीं लग सका। अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 09.09.2019 को जरिये अभिभाषक हुई। अतः नकल मिलने के समय को शुमार करते हुए अपील मियाद अन्दर पेश की गई है। हम न्यायहित में तकनीकी बिन्दु पर वादकरण

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

समाप्त करने के बजाय गुणावगुण पर निस्तारण वांछनीय समझते हैं। अतः अपील प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब पर उदार दृष्टि अपनाकर, क्षमा करते हुए अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है।

5. जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता संख्या 244 में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 557, 558 पर लखमीचन्द पुत्र मटरेलाल कौम वैश्य खातेदार काश्तकार दर्ज अभिलेख है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वक्त राजीनामा, वादी/अपीलाण्ट का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं होने के कारण, वाद अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम की श्रेणी में नहीं आने के कारण खारिज किया गया है। हमने राजीनामा का अवलोकन किया। राजीनामा में अंकित है कि "आराजी खसरा नम्बर 557 व 558 वाके ग्राम महलपुर चूरा पटवार हल्का महलपुर चूरा तहसील रूपवास, जिला भरतपुर में स्थित है। जिसका वादी मालिक एवं स्वामी है तथा वादी ही रहेगा तथा आज की दिनांक को अप्रार्थीगण द्वारा गेहूँ की फसल बोई है जो अप्रार्थीगण को दी जा रही है। आगे से वादी कब्जा काश्त होगा" चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, केवल हस्तक्षेप को रोकने तक ही सीमित है; राजीनामा में "आगे से वादी का कब्जा काश्त रहेगा" अंकित होने एवं विवादित भूमि में अप्रार्थीगण की फसल कटने के बाद से, अप्रार्थीगण/ रैस्पो0 का विवादित भूमि पर से कब्जा समाप्त हो गया है। लिहाजा वादी/अपीलाण्ट का वाद, अन्तर्गत धारा 188 आरटीए में चलने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2019 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः राजीनामा एवं उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.04.2021 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा वाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9.3.21

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी एवं
कार्यवाहक भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर